भारत सरकार/Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy

केन्द्रीयकृत काडर अनुभाग/Centralized Cadre Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ.शि.म.मार्ग/CSM Marg,
मुंबई/Mumbai-400 001.

सं.No.20/2(2)/2012-CCS/खंड/Vol-II/ 7811 जून/June 19, 2013

परिपत्र/CIRCULAR

विषय : पदोन्नति हेतु विभागीय लिखित परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता।

Sub. : Eligibility for appearing in the Departmental Written Examinations for promotion.

****

पदोन्नति हेतु विभागीय लिखित परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता संगत भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के आधार पर निश्चित की जाती है। लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु फीडर ग्रेड में पूरी की जाने वाली "रेजिडेंसी अवधि" को भर्ती नियमों में विहित किया गया है। जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा वर्णित न हो, संबधित ग्रेडों में की गयी "नियमित सेवा" ही फीडर ग्रेडों में पूरी की जाने वाली रेजिडेंसी अवधि, होती है। विभाग के ध्यान में यह आया है कि जिन प्रत्याशियों ने भर्ती नियमों में विहित न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रवेश दिया गया है। इससे न केवल अपात्र उम्मीदवार ही परीक्षाओं में बैठेंगे बल्कि (अन्य) अपात्र उम्मीदवारों से भी अभ्यावेदन शुरू हो जाएंगे कि भर्ती नियमों में ढिलाई देते हुए उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए विचारित किया जाए। फीडर ग्रेड में न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि का प्रावधान इसलिए किया गया है कि विभाग उच्चतर पदों हेतु आवश्यक अनुभव एवं दक्षता वाले प्रत्याशियों का चयन कर सके। अत: यह निवेदन किया जाता है कि विभिन्न विभागीय परीक्षाओं हेतु आवेदन अग्रेषित करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रत्याशी संगत भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करते हों।

Eligibility of candidates for appearing in the Departmental Written Examinations for promotion are determined on the basis of fulfillment of the conditions stipulated in the relevant Recruitment Rules. The Recruitment Rules prescribe the residency periods to be completed in the feeder grades for appearing in the Written Examinations. Unless otherwise specifically mentioned therein, the minimum residency period to be completed in the feeder grades is "regular service" in the respective grades. It has come to the notice of the Department that candidates who have not rendered the minimum residency period as prescribed in the Recruitment Rules are admitted in various Departmental Examinations. It would not only make ineligible candidates appear in the examinations but would also lead to representations from ineligible candidates for considering them as eligible to appear in the Written Examinations in relaxation of the Recruitment Rules. Minimum residency period in the feeder grades have been prescribed to enable the Department to select candidates with necessary experience and competence to higher posts. It is therefore, requested that while forwarding applications of candidates for various Departmental Examinations, it may be ensured that such candidates fulfill all the conditions prescribed in the relevant Recruitment Rules.

19/6/13

(स्वाति पाण्डेय/Swati Pandey)
निदेशक Director (काडर/Cadre)

सभी यूनिट प्रधान/All Heads of Units.

सभी यूनिटों के प्रशासनिक प्रधान/All Administrative Heads of Units.

पऊवि के सभी अनुभाग/अधिकारी/All Sections/Officers in DAE